पत्रांक-2/यो0-5013/2015-

बिहार सरकार

श्रम संसाधान विभाग

अनौपचारिक रूप से आंतरिक
वित्तीय सलाहकार द्वारा परामर्शित।

प्रेषक,

अशोक कुमार सिंह
विशेष कार्य पदाधिकारी,
श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ पटना ।

पटना-15, दिनांक-

विषय:- **''नि:शक्त जनों के लिए नियोजन सहायता''** योजना के तहत जिलों में कमजोर वर्ग के बेरोजगारों के लिए कैम्प का आयोजन एवं नि:शक्त व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के आलोक में विशेष दिवस मनाये जाने निमित्त योजना का वर्ष 2015-16 में ₹ 15.00 लाख (रूपए पन्द्रह लाख) मात्र के अनुमानित वार्षिक व्यय पर अवधि विस्तार की स्वीकृति ।

आदेश:- **स्वीकृत ।**

महाशय,

योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में ₹15.00 लाख (रूपए बारह लाख) मात्र के अनुमानित वार्षिक व्यय पर अवधि विस्तार की स्वीकृति वित्त विभाग के पत्रांक-ब0-17/बी0 एस0 जी0-22/2015-295 /वि0 दिनांक 24.03.2015 एवं पत्रांक-396 दिनांक-24.04.2015 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्ति के अन्तर्गत प्रदान की जाती है ।

2. इस योजना के अन्तर्गत समाज के कमजोर वर्गो के नियोजन क्षमता को बढ़ाने के लिए विशेष नियोजन सहायता-सह-मार्गदर्शन तथा रोजगार एवं स्वरोजगार से संबंधित जानकारी देने के लिए लोक सूचना एवं मूल्यांकन कैम्प के आयोजन पर जिलों में स्थित 38 नियोजनालयों / कार्यालयों द्वारा ₹5,51,000/-(रूपये पॉच लाख इक्यावन हजार)मात्र (संलग्न विवरणी क्रमांक-4 के अनुसार) राशि का व्यय किया जायेगा । इस राशि से जिलों में विशेष लोक सूचना एवं मूल्यांकन कैम्प में आने वाले कमजोर वर्ग के आवेदको को उनकी योग्यता के अनुरूप उनके नियोजन सहायता हेतु रोजगार एवं स्वरोजगार तथा प्रशिक्षण से संबंधित आवश्यक सलाह एवं सूचनाएं दी जायेगी। संबंधित पदाधिकारी एक तिथि निर्धारित कर उपयुक्त कार्यक्रम की पूर्ण व्यवस्था करेंगे एवं अधिक से अधिक संख्या में कमजोर वर्ग के आवेदक लाभान्वित हो सकें, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। शिविर में सरकार द्वारा उनके कल्याणार्थ चलाये जा रहे योजनाओं की जानकारी देते हुए उनका लाभ उठाने के लिए आवेदकों को प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया जायेगा। विशिष्ट वक्ताओं को आमंत्रित कर उनसे विभिन्न रोजगार के अवसरों के संबंध में मार्गदर्शन दिलाया जायेगा। साथ ही निजी क्षेत्र के नियोजकों तथा स्थानीय प्रशिक्षण प्रदाताओं (VTP) को आमंत्रित कर उनके लिए रोजगार एवं रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण के अवसर भी उपलब्ध कराने की चेष्टा की जायेगी।

3. नि:शक्त कोटि के आवेदकों को सुरक्षित नियोजन अवसर/रिक्ति की उपलब्धता के आधार पर मार्गदर्शन उपलब्ध कराने तथा नि:शक्त व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के आलोक में जागरुकता फैलाने हेतु सभी जिलों में विशेष दिवस यथा 'सफेद छड़ी दिवस' तथा नि:शक्तों के लिए विश्व विकलांगता दिवस एवं नियोजन मेला इत्यादि का आयोजन किया जायेगा । इसके लिए (संलग्न विवरणी क्रमांक-5 के अनुसार) कुल 38 (अड़तीस) कार्यालयों द्वारा ₹9,49,000/-(रूपये नो लाख उन्चास हजार) का व्यय किया जायेगा । शिविर में सरकार द्वारा उनके कल्याणार्थ चलाये जा रहे योजनाओं की जानकारी देते हुए उनका लाभ उठाने के लिए आवेदकों को प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया जायेगा। विशिष्ट वक्ताओं को आमंत्रित कर उनसे विभिन्न रोजगार के अवसरों के संबंध में मार्गदर्शन दिलाया जायेगा। साथ ही निजी क्षेत्र के नियोजकों तथा स्थानीय प्रशिक्षण प्रदाताओं (VTP) को आमंत्रित कर उनके लिए रोजगार एवं रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण के अवसर भी उपलब्ध कराने की चेष्टा की जायेगी।

(कृ0 पृ0 उ0)

4 इस योजना के अन्तर्गत व्यय मुख्य शीर्ष-''2230-श्रम तथा रोजगार उपमुख्य शीर्ष-02-रोजगार सेवाएँ, समूहशीर्ष-राज्य योजना, लघु शीर्ष-101-रोजगार सेवाएँ, मांग सं0-26, उप शीर्ष-0113-''नि:शक्तजनों के लिए नियोजन सहायता, स्कीम कोड-लेब-5641, विपत्र कोड संख्या-पी0-2230021010113 के अन्तर्गत व्यय हेतु विषय शीर्ष-''2002-कॉफरेन्स कार्यशाला सेमिनार मद में उपबंधित राशि से चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए विकलनीय होगा ।

5. यह चालू योजना है । इस योजना की स्वीकृति पिछले वित्तीय वर्ष 2014-15 में विभागीय पत्रांक-549 दिनांक 02.07.2014 द्वारा किया गया था ।

7. योजनान्तर्गत व्यय की जाने वाली राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यालय के कार्यालय प्रधान यथा सहायक निदेशक (नियोजन)/ जिला नियोजन पदाधिकारी/ नियोजन पदाधिकारी होंगे ।

8. इस योजना हेतु आवश्यक उद्व्यय एवं बजट उपबंध उपलब्ध है ।

9. प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन पृ0-4/टि0 पर प्राप्त है ।

10. प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति पृ0-4/टि0 पर प्राप्त है

अनुलग्नक:-**यथोक्त।**

विश्वासभाजन

ह0/-
(अशोक कुमार सिंह)
विशेष कार्य पदाधिकारी,
श्रम संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञाप संख्या:-2/यो0-5013/2015- पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि:- सभी जिला कोषागार पदाधिकारी / सभी उप कोषागार पदाधिकारी/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी,/सभी उप निदेशक (नियोजन)/ सभी सहायक निदेशक/ सभी जिला नियोजन पदाधिकारी / सभी नियोजन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

ह0/-
विशेष कार्य पदाधिकारी,
श्रम संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञाप संख्या:-2/यो0-5013/2015- 615 पटना-15, दिनांक- 18.6.15

प्रतिलिपि: माननीय मंत्री श्रम संसाधन विभाग बिहार,पटना के आप्त सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेषित ।

15/6/2015

विशेष कार्य पदाधिकारी,
श्रम संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।
V.K

पत्रांक-2/यो0-5013/2015-

बिहार सरकार

श्रम संसाधान विभाग

अनौपचारिक रूप से आंतरिक
वित्तीय सलाहकार द्वारा परामर्शित।

प्रेषक,

अशोक कुमार सिंह
विशेष कार्य पदाधिकारी,
श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ पटना ।

पटना-15, दिनांक-

विषय:- **''नि:शक्त जनों के लिए नियोजन सहायता''** योजना के तहत जिलों में कमजोर वर्ग के बेरोजगारों के लिए कैम्प का आयोजन एवं नि:शक्त व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के आलोक में विशेष दिवस मनाये जाने निमित्त योजना का वर्ष 2015-16 में ₹ 15.00 लाख (रूपए पन्द्रह लाख) मात्र के अनुमानित वार्षिक व्यय पर अवधि विस्तार की स्वीकृति ।

आदेश:- **स्वीकृत ।**

महाशय,

योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में ₹15.00 लाख (रूपए बारह लाख) मात्र के अनुमानित वार्षिक व्यय पर अवधि विस्तार की स्वीकृति वित्त विभाग के पत्रांक-ब0-17/बी0 एस0 जी0-22/2015-295 /वि0 दिनांक 24.03.2015 एवं पत्रांक-396 दिनांक-24.04.2015 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्ति के अन्तर्गत प्रदान की जाती है ।

2. इस योजना के अन्तर्गत समाज के कमजोर वर्गो के नियोजन क्षमता को बढ़ाने के लिए विशेष नियोजन सहायता-सह-मार्गदर्शन तथा रोजगार एवं स्वरोजगार से संबंधित जानकारी देने के लिए लोक सूचना एवं मूल्यांकन कैम्प के आयोजन पर जिलों में स्थित 38 नियोजनालयों / कार्यालयों द्वारा ₹5,51,000/-(रूपये पॉच लाख इक्यावन हजार)मात्र (संलग्न विवरणी क्रमांक-4 के अनुसार) राशि का व्यय किया जायेगा । इस राशि से जिलों में विशेष लोक सूचना एवं मूल्यांकन कैम्प में आने वाले कमजोर वर्ग के आवेदको को उनकी योग्यता के अनुरूप उनके नियोजन सहायता हेतु रोजगार एवं स्वरोजगार तथा प्रशिक्षण से संबंधित आवश्यक सलाह एवं सूचनाएं दी जायेगी। संबंधित पदाधिकारी एक तिथि निर्धारित कर उपयुक्त कार्यक्रम की पूर्ण व्यवस्था करेंगे एवं अधिक से अधिक संख्या में कमजोर वर्ग के आवेदक लाभान्वित हो सकें, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। शिविर में सरकार द्वारा उनके कल्याणार्थ चलाये जा रहे योजनाओं की जानकारी देते हुए उनका लाभ उठाने के लिए आवेदकों को प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया जायेगा। विशिष्ट वक्ताओं को आमंत्रित कर उनसे विभिन्न रोजगार के अवसरों के संबंध में मार्गदर्शन दिलाया जायेगा। साथ ही निजी क्षेत्र के नियोजकों तथा स्थानीय प्रशिक्षण प्रदाताओं (VTP) को आमंत्रित कर उनके लिए रोजगार एवं रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण के अवसर भी उपलब्ध कराने की चेष्टा की जायेगी।

3. नि:शक्त कोटि के आवेदकों को सुरक्षित नियोजन अवसर/रिक्ति की उपलब्धता के आधार पर मार्गदर्शन उपलब्ध कराने तथा नि:शक्त व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के आलोक में जागरुकता फैलाने हेतु सभी जिलों में विशेष दिवस यथा 'सफेद छड़ी दिवस' तथा नि:शक्तों के लिए विश्व विकलांगता दिवस एवं नियोजन मेला इत्यादि का आयोजन किया जायेगा । इसके लिए (संलग्न विवरणी क्रमांक-5 के अनुसार) कुल 38 (अड़तीस) कार्यालयों द्वारा ₹9,49,000/-(रूपये नो लाख उन्चास हजार) का व्यय किया जायेगा । शिविर में सरकार द्वारा उनके कल्याणार्थ चलाये जा रहे योजनाओं की जानकारी देते हुए उनका लाभ उठाने के लिए आवेदकों को प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया जायेगा। विशिष्ट वक्ताओं को आमंत्रित कर उनसे विभिन्न रोजगार के अवसरों के संबंध में मार्गदर्शन दिलाया जायेगा। साथ ही निजी क्षेत्र के नियोजकों तथा स्थानीय प्रशिक्षण प्रदाताओं (VTP) को आमंत्रित कर उनके लिए रोजगार एवं रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण के अवसर भी उपलब्ध कराने की चेष्टा की जायेगी।

(कृ0 पृ0 उ0)

4 इस योजना के अन्तर्गत व्यय मुख्य शीर्ष-''2230-श्रम तथा रोजगार उपमुख्य शीर्ष-02-रोजगार सेवाएँ, समूहशीर्ष-राज्य योजना, लघु शीर्ष-101-रोजगार सेवाएँ, मांग सं0-26, उप शीर्ष-0113-''नि:शक्तजनों के लिए नियोजन सहायता, स्कीम कोड-लेब-5641, विपत्र कोड संख्या-पी0-2230021010113 के अन्तर्गत व्यय हेतु विषय शीर्ष-''2002-कॉफरेन्स कार्यशाला सेमिनार मद में उपबंधित राशि से चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए विकलनीय होगा ।

5. यह चालू योजना है । इस योजना की स्वीकृति पिछले वित्तीय वर्ष 2014-15 में विभागीय पत्रांक-549 दिनांक 02.07.2014 द्वारा किया गया था ।

7. योजनान्तर्गत व्यय की जाने वाली राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यालय के कार्यालय प्रधान यथा सहायक निदेशक (नियोजन)/ जिला नियोजन पदाधिकारी/ नियोजन पदाधिकारी होंगे ।

8. इस योजना हेतु आवश्यक उद्व्यय एवं बजट उपबंध उपलब्ध है ।

9. प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन पृ0-4/टि0 पर प्राप्त है ।

10. प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति पृ0-4/टि0 पर प्राप्त है

अनुलग्नक:-**यथोक्त।**

विश्वासभाजन

ह0/-
(अशोक कुमार सिंह)
विशेष कार्य पदाधिकारी,
श्रम संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञाप संख्या:-2/यो0-5013/2015- 615 पटना-15, दिनांक- 18.6.15

प्रतिलिपि:- सभी जिला कोषागार पदाधिकारी / सभी उप कोषागार पदाधिकारी/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी,/सभी उप निदेशक (नियोजन)/ सभी सहायक निदेशक/ सभी जिला नियोजन पदाधिकारी / सभी नियोजन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

विशेष कार्य पदाधिकारी,
श्रम संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।